न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर ,केम्प भोपाल

निगरानी 445-PBR-15

राजस्व प्रकरण क्रमांक /नि/2015

मोहम्मदबिलाल खां आयु 18 साल
आत्0 श्री मोहम्मदरिजवान खां
निवासी- सांची रोड,जिला
चिकित्सालय ,रायसेन तहसील व
जिला रायसेन ——— आवेदक

विरुद्ध

राशिदखां आयु वयस्क
आत्मज श्री मोहम्मदअशरफखां
निवासी- वार्ड नंबर-3,
सांची रोड, रायसेन ,तहसील
व जिलारायसेन ——— अनावेदक

श्री कमल सिंह राजपूत अभिभाषक के द्वारा आज दिनांक 26-2-15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
26-2-15
27-2-15

आवेदन पत्र अन्र्तगत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

आवेदक/निगरानी कर्ता माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय,तहसील रायसेन द्वारा प्रकरण क्रमांक 133-अ/6/13-14 फरकार राशिद खां विरुद्ध मोहम्मद बिलाल खां में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 4.8.2014 से असंतुष्ट होकर तथा अपनी असहमति प्रकटकरते हुए निम्न तथ्यों एंव आधारों पर वर्तमान निगरानी प्रस्तुत करता है:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

——

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग 445 –पीबीआर/15 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–3–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 4–8–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश से प्रकरण दर्ज कर वारिसानों की रिपोर्ट बुलाई गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क कि आवेदन पत्र मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, रायसेन को संबोधित था, अतः तहसीलदार को आवेदन पत्र नहीं लेना था और यदि आवेदन पत्र ले लिया था तो प्रकरण दर्ज नहीं करना चाहिये था मान्य योग्य नहीं है, क्योंकि आवेदक को तहसीलदार के समक्ष सुनवाई का अवसर उपलब्ध है और उक्त आशय की आपत्ति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	